छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय-सूचना//

सचिवालयीन कार्यालय आदेश क्रमांक 553/वि.स./लेखा/2005 रायपुर, दिनांक 22/01/2005 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 10474/वि.स./स्था./2009 रायपुर, दिनांक 09/12/2009 के तहत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सामान्य भविष्य निधि प्रकरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के निपटान हेतु परिवार के सदस्यों/आश्रित सदस्यों की जानकारी मंगायी गई थी । पश्चात् नव नियुक्त एवं पूर्व में प्रस्तुत आश्रित सदस्यों की सूची में परिवर्तन करने वाले ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों हेतु परिवार के सदस्यों/आश्रित सदस्यों की जानकारी सेवा अभिलेख के उद्देश्य से संकलित की जानी है ।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा है कि परिवार विवरण के निर्धारित प्रपत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के नियम 2 (घ) तथा भविष्य निधि नियम 1955 के नियम 8 का पालन करते हुये, जानकारी कार्यालय सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में स्थापना शाखा में प्रस्तुत करें । प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि में औचित्यपूर्ण समस्त सुसंगत अभिलेखी प्रमाण, शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें । सुलभ संदर्भ हेतु चिकित्सा परिचर्या नियमों की छायाप्रति तथा परिवार विवरण का निर्धारित प्रपत्र स्थापना शाखा से प्राप्त किये जा सकते है ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

आदेश से,

हस्ता/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

(8)

पृ. क्रमांक 8554 /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक 01/08/2022

प्रतिलिपिः-

01. मान.अध्यक्ष के सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान.उपाध्यक्ष महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को मान.उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

25/7/2022

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा